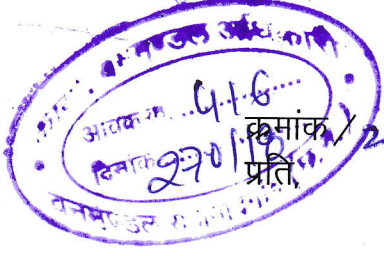


कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव
// अनापत्ति प्रमाण पत्र संशोधित //



क्रमांक/ 236 / रा.नि.व.लो. / 2018

राजनांदगांव दिनांक 23 / 01 / 2018

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल राजनांदगांव

विषय :- असीमांकित सरंक्षित वनक्षेत्रो (आरेंज क्षेत्र) के सर्वेक्षण एवं सीमांकन के पश्चात् आरक्षित वन घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- आपका ज्ञा. क्रमांक/मा.चि./न.क.- 18 - 244 / 12435 राजनांदगांव दि. 15.11.2017 एवं ज्ञापन क्रमांक 1032 दिनांक 18.01.2018

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक एवं चिचोला-छुरिया- कल्लूबंजारी महाराष्ट्र सीमा तक सडक चौरीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु क्रमशः रकबा 5.577 हे. एवं रकबा 8.543 हे. कुल 14.120 हे. का व्यपवर्तन किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र के एवज में दुगूनी नारंगी वन क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मांग की गयी है, उपलब्ध नारंगी क्षेत्र जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	परिक्षेत्र	वनखण्ड	ग्राम	प.ह. नं.	खसरा नम्बर	रकबा हे.	कुल रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाघनदी	मातेखेड़ा	मासुल	52	10	1.700	1.700
			मातेखेड़ा	51	72 का टुकड़ा	0.375	0.375
			घरमुटोला	49	590, 591, 592, 593, 595, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 607, 612	0.090, 0.052, 0.031, 0.365, 1.225, 0.202, 0.850, 0.162, 21.369, 0.304, 0.750, 0.765	26.165
महायोग							28.240

उक्त उपलब्ध नारंगी क्षेत्र को आरक्षित वन भूमि घोषित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव से कंडिकावार जानकारी स्पष्ट अभिमत सहित मंगाया गया। प्रतिवेदन में आवेदित नारंगी क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनभूमि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है, का उल्लेख किया गया है। तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र आपकी ओर प्रेषित है।


कलेक्टर
राजनांदगांव